Hindi

फेडरल नागरिक अधिकार कानूनों तथा यू.एस. डिपार्टमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर (USDA) नागरिक अधिकार विनियमन एवं नीतियों के अनुरूप - USDA, इसकी एजेन्सियां, कार्यालय, कर्मचारी, तथा संस्थान - जो कि USDA कार्यक्रमों में सहभागिता अथवा संचालित करते हैं, वे नस्ल, रंग, राष्ट्रीय उद्गम, लिंग, विकलांगता, आयु अथवा USDA द्वारा संचालित अथवा वित्तपोषित किसी कार्यक्रम अथवा कार्यक्रम में पिछले नागरिक अधिकार क्रियाकलापों के लिए प्रतिशोध या प्रतिकार के आधार पर भेदभाव करने से निषिद्ध हैं।

संचार सूचना के वैकल्पिक माध्यमों (जैसे कि ब्रेल, बड़े प्रिंट, ऑडियो टेप, अमेरिकी संकेत भाषा आदि) की आवश्यकता वाले विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों को उस एजेन्सी (राज्य अथवा स्थानीय) से सम्पर्क करना चाहिए, जहां पर उन्होंने लाभ के लिए आवेदन किया था। बधिर, क्षीण श्रवण शक्ति अथवा वाक् विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति - (800) 877-8339 पर Federal Relay Service के माध्यम से USDA से सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम सूचना को अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में उपलब्ध करवाया जा सकता है।

भेदभाव के विरुद्ध कार्यक्रम शिकायत दर्ज करने के लिए USDA Program Discrimination Complaint Form को भरें, (AD-3027) यह http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html पर ऑनलाइन तथा किसी भी USDA कार्यालय पर उपलब्ध है, अथवा USDA के पते पर एक पत्र भेजें जिसमें फॉर्म में अनुरोध की गई सभी सूचनाएं भरें। शिकायत फॉर्म की एक प्रति मांगने के लिए (866) 632-9992 पर कॉल करें। अपने पूरे भरे हुए फॉर्म अथवा पत्र को USDA के पास निम्नलिखित तरीके से भेजें:

(1) डाक: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410;

(2) फैक्स: (202) 690-7442; अथवा

(3) ईमेल: program.intake@usda.gov.

यह संस्थान समान अवसर प्रदान करता है

WICNS / DHSS (08-2016)